कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

* मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर सेल की 8वी बैठक दिनांक 21.01.2026 को वन भवन, तुलसी नगर भोपाल में संपन्न*

प्रेस विज्ञप्ती (**04/25,** दिनांक **21.01.2026)**

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन का पत्र क्रमाक एफ 14/174/94/10-भोपाल दिनांक 05-10-1999 मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुलिस, वन वन विभाग व अन्य संबंधित कानून प्रवर्तन संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित कर टाइगर एवं अन्य वन्यप्राणियों के शिकार एवं तस्करी पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु एक स्टेट टाइगर सेल का गठन कर विशेष पुलिस महानिदेशक एसटीएफ अध्यक्ष व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) को सहअध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

स्टेट टाइगर सेल की 8वी बैठक विशेष पुलिस महानिदेशक एसटीएफ, की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2026 को वन भवन तुलसी नगर भोपाल में आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न कानून प्रवर्तन संस्थाओं जैसें वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों, संचालनालय लोकअभियोजन, रेल्वे सुरक्षा बल, शासकीय रेल पुलिस, सायबर पुलिस, डीआरआई, सीबीआई, कस्टम, इंटेलिजेन्स ब्यूरो, वाइल्ड लाईफ फॉरेन्सिक एवं हेल्थ, एनएफएसयू, एनटीसीए, स्टेट फॉरेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी भोपाल व सागर, प्रवर्तन निर्देशालय, मध्यप्रदेश् विधुत वितरण कंपनी, समस्त टाइगर रिजर्व मध्यप्रदेश व स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के प्रतिनिधी बैठक में उपस्थित हुये। बैठक में बाघ, तेंदुआ, हाथी एवं अन्य वन्यजीवों को उत्पन्न संकट पर चर्चा की गयी। विगत वर्षों मे बाघ, तेंदुआ की संख्या मे बढ़ोतरी एवं विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं (शिकार, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं बिजली के करंट से मृत्यु) मे इनकी मृत्यु की जानकारी साझा की गयी। इन घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु सभी संबंधित विभागों ने सहमति दी। वन अपराधों की बढ़ती संख्या एवं अपराधियों द्वारा इजात किए जा रहे तरीके के आकड़े चिंता का विषय है जिन पर सभी विभागों द्वारा आपसी सहयोग कर प्रभावी रोकथाम पर सहमत बनी इस हेतु वन विभाग द्वारा सभी संबन्धित विभागों को वन अपराध एवं अपराधियों का डाटा साझा किए जाने पर सहमति दी।

सभी विभागों ने प्रदेश स्तर पर समन्वय के साथ साथ जिला स्तर पर आपसी सहयोग से वन्यजीव संरक्षण, वन अपराध को कम करने, अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने पर सहमति बनी। इस बैठक मे मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर सेल के अध्यक्ष स्टेट टाइगर सेल व विशेष पुलिस महानिदेशक पुलिस की क्राइम समीक्षा बैठक में वन अपराध प्रकरणों को शामिल करने पर सहमति बनी। खुफिया तंत्र सुद्रणीकरण एवं वाइल्ड लाइफ क्राइम हॉट-स्पॉट की जानकारी वन विभाग से पुलिस को प्रदाय करने हेतु सुझाव दिये। वन अपराध में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध आवश्यकता होने पर आर्म्स एक्ट व आई टी एक्ट, बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही एवं वन विभाग के फरार वारंटी आरोपी की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही में सहयोग करने का सहमति बनी। वन्यजीव से जुड़े मामलों पर डिजिटल निगरानी/कार्यवाही एवं टाइगर रिजर्व में पर्यटन हेतु ऑनलाईन बुकिंग संबंधी फ्रॉड की रोकथाम की कार्यवाही पर चर्चा हुई।,

रेल्वे सुरक्षा बल व जीआरपी के साथ वन विभाग के श्वान दस्ता (K9 Squad) की संयुक्त गश्ती कर रेलवे किये जाने हेतु सहमति बनी। न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा एवं त्वरित निराकरण हेतु संचालक अभियोजन संचालनालय द्वारा सुझाव दिये गये। वन अमले का क्षमता उन्नयन हेतु अन्य विभागों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण आयोजन हेतु सहमति बनी। राज्य स्तरीय, संभागीय एवं जिला स्तर पर स्टेट टाइगर सेल को प्रभावी बनाने एवं पुर्नगठन हेतु राजस्व विभाग को भी शामिल किये जाने पर चर्चा की गई तथा प्रत्येक वर्ष स्टेट टाइगर सेल की बैठक आयोजित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल